भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान(मानद् विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)
करनाल, हरियाणा(भारत). पिन-132001.
Karnal, Haryana(India). PIN-132001

( **नकदी एवं देयक अनुभाग-दो / Cash & Bill Section-II** )

क्रमांक. एफ.चिकित्सा/न.एवं दे.II/2020-21 दिनांक : 14.08.2023

## परिपत्र

सी.एस.एम.ए. (CSMA) नियमानुसार एनडीआरआई, करनाल में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को ए.एम.ए. (Authorized Medical Attendant) तथा सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी से रैफर करवाकर ही संस्थान द्वारा अधिकृत/अनुबंधित अस्पतालों में इलाज के लिए जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशानुसार पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति संस्थान के मानव स्वास्थ्य परिसर, रा.डे.अनु.सं. से इलाज या संस्थान/आई.सी.ए.आर. के डिस्पेंसरी द्वारा सरकारी अस्पतालों व इंडोर चिकित्सा हेतु अधिकृत/अनुबंधित अस्पतालों को निर्देशित/अग्रेषित मामलों में ही की जाती है। इस संदर्भ में यह देखा गया है कि संस्थान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी तथा उनके आश्रित चिकित्सा हेतु संस्थान द्वारा अधिकृत/अनुबंधित अस्पतालों के बजाय अन्य बाहरी अस्पतालों में इलाज हेतु जाते हैं और उस पर आने वाली व्यय राशि की प्रतिपूर्ति का दावा कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं।

अत: संस्थान में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल के अनुमोदन से यह सूचित किया जाता है कि प्रधान कार्यालय (हैडक्वार्टर) के बाहर अचानक उत्पन्न आपातकालीन परिस्थिति के अतिरिक्त चिकित्सा हेतु प्रथम प्राथमिकता संस्थान द्वारा अनुबंधित/पैनल अस्पतालों को ही दें और नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करें जिससे उनके चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति की जा सके।

धर्मेन्द्र सिंह 14.8.23
आहरण एवं संवितरण अधिकारी

**वितरण : (सर्वसंबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।)**

1. सभी प्रभागाध्यक्षों/अनुभाग प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत स्टाफ में इसका परिचालन करें।
2. प्रभारी, स्वास्थ्य परिसर, राडेअनुसं, करनाल को सूचनार्थ।
3. निदेशक, राडेअनुसं, करनाल को उनके व्यक्तिगत प्रधान निजी सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशा.) एवं वरिष्ठ रजिस्ट्रार को उनके व्यक्तिगत निजी सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
5. प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र कृपया इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।